मेरे व तारीख अहल
हुक्म की तामील में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
43/23	14.07.2023	13.05.2026

बउनवान

1. रामचन्द्र पुत्र लीलाराम जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. रेवती देवी पत्नी स्व0 श्री जलेसिंह जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128
भू0 राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी वकील –: श्री सरजीत यादव

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी ख0न0 1315/475 रकबा 1.11 है0 वाके ग्राम सानोली तह० मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित है जो आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है जो विरास्त में प्रार्थी को प्राप्त हुई है। उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाई जानी है मुलाहिजा हेतू जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है । तथा मिन प्रार्थी के नाम का अंकन राजस्व रिर्कोड में दर्ज हो रहा है।
2. यह है कि मिन प्रार्थी की आराजी ख0न0 1315/475 की तरफ दक्षिणी डोल के साथ लगती हुई आराजी के काश्तकार धीरे धीरे मिसमार करते हुये दक्षिण डोल को समाप्त कर दिया जिस पर मिन प्रार्थी ने दिनांक 5/5/2023 को श्रीमान तहसीलदार महोदय, के आदेश कमांक कैम्प/बडील/2023/12,13–20 दिनांक 2/5/2023 की पालना में आराजी ख0न0 1315/475 वाके ग्राम सानोली के वास्ते सीमाज्ञान हेतू मौके पर बहराह भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र उल्हाडी पटवारी हल्का भुनगडा अहीर, जसाई एवं पटवारी हल्का बीजवाड चौहान के पहुचा। मौके पर पहुंचकर प्रार्थी एवं अन्य ग्रावासियान की उपस्थिती में उक्त आराजी खसरा न० के आस पास के खसरा नम्बरान का मौका देखा गया एवं आराजी खसरा न0 457, 458, 463, 464 के मध्य बने चौमेडे से आराजी खसरा नम्बर 463, 464 के पूर्वी मेड के कोने की ओर जरीब चलाकर खसरा नम्बर 463, 464

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

के मध्य पूर्वी कोने को कायम कर दक्षिण की ओर जरीब चलाकर आराजी खसरा न0 1315/475 का खसरा नम्बर 470 की ओर बना उत्तरी पश्चिमी कोना कायम किया गया व इसके पश्चात आगे दक्षिण की ओर जरीब चालकर आराजी खसरा नम्बर 1315/45 का आराजी खसरा नम्बर 470 की ओर बना दक्षिणी पश्चिमी कोना कायम किया गया। इसके पश्चात आराजी खसरा न0 1288/488 के उत्तरी पूर्वी मेड के कोने से दक्षिण की ओर जरीब चलाकर आराजी खसरा नम्बर 1315/475 का उत्तरी पूर्वी मेंड का कोना कायम किया गया व आगे दक्षिण की ओर जरीब चालकर आराजी खसरा न0 1315/475 का दक्षिणी पूर्वी कोना कायम किया गया व इसके पश्चात प्रर्थी एवं अन्य की उपस्थिती में किये गये सीमाज्ञान कार्य के निशानात प्रार्थी एवं अन्य ग्रामवासियान को मौके पर बताये गये। मौका पर्चा पर तहरीर कर मौके पर उपस्थित ग्रावासियान को सुनाया गया व हस्ताक्षर कराये गये।

3. यह है कि आराजी हाल ख0न0 1315/475 मिन प्रार्थी की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है। जिस पर मिन प्रार्थी शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहा है, लेकिन अप्रार्थी की तरफ दक्षिण दिशा में साथ लगती हुई आराजी होने के कारण अप्रार्थी जो मूठ मर्द व लडाका प्रवृति की महिला है, जो मिन प्रार्थी की आराजी के साथ, अप्रार्थी की आराजी लगने का बेजा फायदा उठाकर धीरे धीरे मिन प्रार्थी की आराजी की डोल को मिसमार करते हुये प्रार्थी की आराजी में प्रवेश करना चाहती है। तथा मिन प्रार्थी की आराजी की डोल को मिसमार कर दिया जिसपर मिन प्रार्थी ने मना करने पर अमादा लडाई झगडा हो गये तथा धीरे धीरे मिन प्रार्थी की आराजी की डोल को मिसमार कर, जबरन ख0न0 1315/475 की आराजी को दबाना चाहते है।

4. यह है कि अप्रार्थी को पूर्व में बार बार समझाया गया एवं गांव के लोगों को एकत्रित कर, लोगों के समक्ष डोल कायम कर, पत्थर भी रोपे गये, परन्तु अप्रार्थी अपनी बेजा हरकतों से बाज नही आ रहे है तथा डोल मिसमार करते रहते है, जिस पर मिन प्रार्थी ने अपनी आराजी की पैमाईस हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर को पेश किया, जिस पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 5/5/2023 को मौका पर जाकर, आराजी की पैमाईस की, जिस पैमाईस कि गई लेकिन आराजी ख०न० 1315/475 से हल्का पटवारी द्वारा कोई पैमाईशन नही कि केवल अन्य आराजी से नाप तोल कर पैमाईश की गई है। अप्रार्थी हल्का पटवारी द्वारा लगाये गये सभी निशानात भी मिटा दिये तथा मिन प्रार्थी की आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहता है।

5. यह है कि प्रार्थी अप्रार्थी को बार बार पत्थरगढी कराने के लिये कहता रहा और अप्रार्थी हर बार टाल बाल करते रहे एवं अब अप्रार्थी ने पैमाईस दिनांक 5/5/2023 द्वारा कामय निशानात को मिटा दिये तथा मिन प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

की आराजी पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे है।, जिस पर मिन प्रार्थी ने अब दिनांक 01/06/2023 को अप्रार्थी को पूर्व पैमाईस अनुसार पत्थरगढी कराने बाबत कहा तो अप्रार्थी आमादा लडाई झगडा हो गये तथा पैमाईस कराने से साफ मना कर दिया तथा ऐलानिया धमकी दी है कि हम पत्थरगढी नही होने देगे तथा ना ही तुम्हारी आराजी पर से कब्जा छोडेगे, एंव आराजी में स्थायी निर्माण करेगे बस यही प्रार्थना पत्र हेतु बिनायदावी पैदा होकर, प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश किया जाना लाजिमी आया है। जो अन्दर अवधि पेश है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे-
(अ) यह है कि डिकी पत्थरगढी इस अमर की पारित की जाकर आराजी हाल ख0 न0 1315/475 रकबा 1.11 है0 वाके ग्राम सानोली तह० मुण्डावर की पैमाईस दिनांक 5/5/2023 के अनुसार या आराजी की पुनः पैमाईस करायी जाकर, ख0 न0 1316/475 की उत्तर की डोल कायम कर पैमाईस के अनुसार पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिया जावे।
(ब) यह है कि खर्चा प्रार्थना पत्र अप्रार्थी से प्रार्थी को दिलाया जावे।
(स) यह है कि अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्डर्ट किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, तामिल बाद अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व अप्रार्थी संख्या 02 को जबाव प्रस्तुत किये जाने बाबत कई अवसर प्रदान करने उपरान्त भी जबाव पेश नही किया गया ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 02 का जबाव प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2072-75, नकल पटवारी रिपोर्ट पेश की।

प्रार्थी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे विवादित आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त की भूमि है। विवादित आराजी की पैमाईस राजस्व टीम के द्वारा की जा चुकी है। विवादित आराजी को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा जब्ररन दबा रखी है। विवादित आराजी की पत्थरगढी मुताबिक पैमाईश करवाई जाने का श्रम करे।

पत्रावली, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जबाव अप्रार्थी, पत्रावली के सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व प्राथी व अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

विवेचन इस प्रकार है कि विवादित आराजी में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। काश्तकार खातेदार को अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने जाने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी की पुनः पैमाईश कर पत्थरगढी किया जाना उचित रहेगा। इसलिए यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि ख0न0 1315/475 रकबा 1.11 है0 वाके ग्राम सानोली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 के लगाये हुए समस्त काश्तकार को विधिवत रूप से सूचित कर विवादित आराजी की पुनः पैमाईश कर पत्थरगढी की जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner